...यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

...सीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 214/प्रा0पत्र/2020

1. उषा आयु 47 वर्ष पुत्री घनश्याम पत्नी अनिल जाति छीपा निवासी बडगांव हाल निवासी देई तहसील नैनवां, जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थीयां

बनाम

1. पार्वती पुत्री घनश्याम
2. अनुराधा पुत्री घनश्याम
3. घीसी बाई बेवा घनश्याम जातियान छीपा निवासीगण बडगांव तहसील हिण्डोली
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री महेश नामा

अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 05/08/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 245 खसरा संख्या 510 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 511 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 512 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 513 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 514 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 519 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 520 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 521 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 522 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 523 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 524 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 525 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 526 रकबा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 534 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 1103 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 15 कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है जो प्रार्थीयां की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीयां के पिता घनश्याम है जिनके हम निम्न वारिस है (संलग्न वाद पत्र है)। घनश्याम जी के मीरू हाई नाम की कोई पुत्री नही है, प्रार्थीयां का नाम उषा है लेकिन घर में प्रार्थीयां को मीरू हाई के नाम से भी जानते थे। इसी कारण पटवारी हल्का द्वारा पिताजी की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में उषा के स्थान पर मीरू हाई का इन्द्राज कर दिया उक्त इन्द्राज अवैध व निरस्तनीय है। प्रार्थीयां के सभी सरकारी दस्तावेजात भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैक पासबुक, राशनकार्ड आदि सभी सहकारी दस्तावेजात में प्रार्थीयां का नाम उषा पुत्री घनश्याम दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीयां का नाम मीरू हाई दर्ज कर दिया जिसकी वजह से प्रार्थीयां अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नही ले पा रही है क्योकि प्रार्थीयां के पास मीरू हाई के नाम से पहचान का कोई दस्तावेज नही है, प्रार्थीयां का नाम उषा है और पहचान के सभी दस्तावेजात में उषा ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर मीरू हाई के स्थान पर उषा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीयां ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 05.08.2020 को इन्कार कर दिया यही वादउत्पति का कारण है। प्रार्थीयां को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीयां प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दर्ज मीरू हाई पुत्री घनश्याम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उषा पुत्री घनश्याम दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उषा सही नाम दर्ज करवावें। वादग्रस्त भूमि के अन्य खातेदारान के विरूद्व प्रार्थीयां द्वारा कोई अनुतोष नही चाह गया है घनश्याम के समस्त वारिसान का ही हित प्रभावित होने से घनश्याम जी के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है एवं राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार हिण्डोली को पक्षकार बनाया गया है। भूमि ग्राम बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 245 खसरा संख्या 510 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 511 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 512 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 513 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 514 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 519 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 520 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 521 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 522 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 523 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 524 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 525 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 526 रकबा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 534 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 1103 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 15 कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बडगांव पटवार हल्का बडगांव के राजस्व रिकार्ड में दर्ज मीरू हाई पुत्री घनश्याम के इन्द्राज को दुरूस्त कर उषा पुत्री घनश्याम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उषा, पार्वती, अनुराधा पुत्रियां घनश्याम, घीसी बाई बेवा घनश्याम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, व 3 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 8 स्वीकार है। प्रार्थना प्रार्थीयां स्वीकार है, प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खाता संख्या 245 कुल किता 15 कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बडगांव में दर्ज मीरूहाई पुत्री घनश्याम के अंकन को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर उषा पुत्री घनश्याम दर्ज किये जाने में हमारी पूर्ण सहमति है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

ी संख्या 4 पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र चरण संख्या 1 संलग्न जमाबंदी स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 वादी यं सिद्व करें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 संलग्न दस्तावेज से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 व 7 वादी स्वयं सिद्व करे। अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 कानूनी प्रकिया के बिन्दु है। ग्राम बडगांव खाता संख्या 245 किता 15 रकबा 22.13 बीघा में वादिया के पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र एवं सहखातेदार के जवाब के आधार पर उक्त खाते में वादिया का नाम मीरू हाई के स्थान पर उषा दर्ज किया जाना बाबत जवाब सादर पेश है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीयां की बहस सुनी। वकील प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीयां का सही नाम उषा पुत्री घनश्याम है, जो कि भूमि खाता नम्बर 245 सम्वत 2072 से 2075 ग्राम बडगांव में मीरूहाई पुत्री घनश्याम दर्ज है, जो कि अशुद्व है, जिसे सही कर मीरूहाई के स्थान पर उषा पुत्री घनश्याम शुद्व दर्ज किया जावें। इस हेतु प्रार्थीयां ने आधार कार्ड नम्बर 730285407017, जन आधार कार्ड नम्बर 5035732782, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र RJ/14/104/321145, परिवार राशन कार्ड नम्बर 02428 ग्राम पंचायत देई पेश किये है जिनमें प्रार्थीयां का सही नाम उषा दर्ज होना अंकित है।

वकील प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व सहखातेदार पार्वती, अनुराधा, घीसी बाई द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब एवं जवाब सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीयां का नाम खाता संख्या 245 ग्राम बडगांव में नाम मीरूहाई पुत्री घनश्याम दर्ज है, जिसे विलोपित कर प्रार्थीयां का सही नाम उषा पुत्री घनश्याम कोम छीपा दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयां स्वीकार किया जाकर भूमि नया खाता संख्या 245 पुराना 139 जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 वाके ग्राम बडगांव पं0म0 बडगांव में दर्ज प्रार्थीयां के नाम मीरूहाई पुत्री घनश्याम के अंकन को विलोपित कर सही नाम उषा पुत्री घनश्याम कोम छीपा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)